सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/14 दर्ज तिथिः–08.04.2025

1. नत्थू खां पुत्र श्री फतू खां निवासिनी ग्राम पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी बड़ा बास, लाडनू जिला नागौर (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी :– श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित
अप्रार्थी :– पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–22.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 291/7.2970 हैक्ट. वाके रोही पीथीसर पटवार हल्का पीथीसर भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू (राज.) में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 357 है तथा पुराने खाता संख्या 336 है, जिसमें वादी का 1/20 हिस्सा है। जिसके खातेदार वादी के पिता फतू खां थे, जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इंतकाल नामान्तरकरण दर्ज हुआ है।
2. वादी संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 556/8.2202 हैक्ट., खसरा संख्या 557/2.5293 हैक्ट. व खसरा संख्या 564/7.3349 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 18.0844 हैक्ट. वाके रोही पीथीसर पटवार मण्डल पीथीसर भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 216 है तथा पुराने खाता संख्या 216 है जिसमें वादी का 1/10 हिस्सा है जिसके खातेदार वादी के पिता फतू खां थे, जिनके फौत होने पर उनका विरासतन इंतकाल नामान्तरकरण दर्ज हुआ है।
3. उक्त विरासतन इंतकाल में वादी का नाम नत्थू खां पुत्र फतू खां की जगह नबु खां पुत्र फते खां त्रुटीवश दर्ज हो गया है, वादी का सही [illegible] नाम नत्थू खां पुत्र फतू खां है, लेकिन परिवार में स्नेह व प्यार की [illegible] से वादी [illegible] पुकारा जाता था। इस कारण त्रुटीवश नाम नबु खां अंकित हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:25 IST
Reason: SelfAttested

4. राजस्व रिकॉर्ड में वादी का वास्तविक नाम नत्थू खां पुत्र फतू खां है और ये एक ही व्यक्ति के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. राजस्व रिकॉर्ड में नाम में त्रुटी होने से वादी को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड आदि में उसका सही नाम नत्थू खां पुत्र फतु खां है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादी को सरकारी व अन्य योजनाएं लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है। वादी के नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादी ने तहसीलदार चूरू से निवेदन किया तथा पर तहसीलदार ने उक्त दावा नाम संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 24.03.2025 को वादाधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।

6. नाम संशोधन से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है जिस कारण उन्हें पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है। वादी ने दिनांक 24.03.2025 को प्रतिवादी को एक प्रार्थना–पत्र नाम में संशोधन करने बाबत दिया तो उन्होंने नाम में संशोधन नहीं करने व यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादी उक्त कृषि का खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार द्वारा ही समस्त संशोधन किये जाने व भूमिधारक होने के कारण उसे पक्षकार दावा बनाया गया है तथा कोई विपरीत अनुतोष राज्य सरकार के विरूद्ध नहीं चाहा गया है, इस हेतु बगैर 80(2) सी.पी.सी. के नोटिस के दावा पेश है।

7. वादगत भूमि रोही पीथीसर तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके संबंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी का वाद मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कृषि भूमि खसरा संख्या 291/7.2970 हैक्ट. वाके पीथीसर पटवार मण्डल पीथीसर भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खसरा संख्या 556/8.2202 हैक्ट., खसरा संख्या 557/2.5293 हैक्ट. व 564/7.3349 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 18.0844 हैक्ट. वाके पीथीसर पटवार मण्डल पीथीसर भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में खातेदार नबु खां पुत्र फतू खां की जगह नत्थू खां पुत्र श्री फतू खां संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

(ख) अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या हो जावे, वो भी वादी को प्रदान फरमाया जावें।

8. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने जवाब प्रस्तुत किया जिसमें भू.अ.नि. व पटवारी पीथीसर की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर बताया कि फतू खां के चार वारिस थे जो कि लम्बे समय से लाडनूं में रहते हैं। फतु खां की लगभग 50 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है तथा उनके वारिसान वर्तमान में लाडनूं में रहते [illegible] खां, हाकमअली खां, नबू खां, नवाब अली खां, मैना बानो (पुत्र–पुत्री) आदि वारि[illegible] वासियों में पूछताछ करने पर बताया कि फतु खां का एक पुत्र नबु [illegible] कही चला गया है। जिसका आज तक कोई जानकारी [illegible] से पूछताछ करने पर बताया कि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:25 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड में नवाब अली नाम दर्ज है उनका नाम ही नत्थू खां होना बताया है। ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर बताया है कि प्रार्थी नत्थू खां जो कि नबू खां का नाम सही करवाना चाहता है वह बिलकुल उचित नहीं है। प्रार्थी ने कुटरचित दस्तावेज पेश किए हैं अतः नाम दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में नवाब अली नाम दर्ज है उनका नाम ही नत्थू खां होना बताया है।

9. पत्रावली पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल कृषि भूमि खसरा संख्या 291/7.2970 हैक्ट. वाके पीथीसर पटवार मण्डल पीथीसर भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू व कृषि भूमि खसरा संख्या 556/8.2202 हैक्ट., खसरा संख्या 557/2.5293 हैक्ट. व 564/7.3349 हैक्ट. कुल किता 03 कुल तादादी 18.0844 हैक्ट. वाके पीथीसर पटवार मण्डल पीथीसर भू.अ.नि. पीथीसर तहसील व जिला चूरू में खातेदार नबु खां पुत्र फतू खां की जगह नत्थू खां पुत्र श्री फतू खां संशोधित किये जाने का आदेश व डिक्री बहक वादी जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिक्री अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें।

10. मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना—पत्र का सूक्ष्म वृतान्त यह है कि ग्राम पीथीसर, तहसील व जिला चूरू स्थित संयुक्त खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि खसरा संख्या 291/7 रकबा 7.2970 हैक्टेयर, खाता संख्या 357 (पुराना 336) तथा खसरा संख्या 556, 557 एवं 564 कुल रकबा 18.0844 हैक्टेयर, खाता संख्या 216 में प्रार्थी का हिस्सा दर्ज है, जो उसके पिता स्व. फतू खां के देहावसान उपरान्त विरासतन नामान्तरण के माध्यम से अंकित हुआ। प्रार्थी का कथन है कि विरासतन नामान्तरण के समय उसके नाम में त्रुटिवश "नबु खां पुत्र फते खां" अंकित हो गया, जबकि उसका वास्तविक नाम "नत्थू खां पुत्र फतू खां" है तथा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। उक्त त्रुटि के संशोधन हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना—पत्र विधिवत् पंजीबद्ध कर अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें भू—अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का पीथीसर की रिपोर्ट संलग्न की गई। तहसीलदार/पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि स्व. फतू खां के वारिसान शोकत खां, हाकमअली खां, नबु खां, नवाब अली खां एवं मैना बानो (पुत्र—पुत्री) थे। यह भी रिपोर्ट किया गया कि फतू खां की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा उनके वारिसान लम्बे समय से लाडनूं क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि फतू खां का एक पुत्र नबु खां लम्बे समय पूर्व ग्राम छोड़कर चला गया, जिसकी वर्तमान स्थिति अथवा पहचान के संबंध में किसी ग्रामवासी को कोई ठोस जानकारी नहीं है। वहीं ग्रामवासियों से पूछताछ में यह बताया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित "नवाब अली" का ही नाम नत्थू खां होना बताया गया है। तहसीलदार/पटवारी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं को नबु खां बताकर नाम संशोधन करवाने का दावा ग्राम स्तरीय तथ्यों से मेल नहीं खाता है। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख, प्रार्थी के कथन, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार/पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण निर्विवाद नाम—दुरुस्ती का नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न नाम (नबु खां, नवाब अली, नत्थू खां) पाए गए हैं तथा यह सुनिश्चित [illegible] प्रार्थी और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति एक ही हैं। जहाँ व्यक्ति की पहचान, वारि[illegible]धिक[illegible] अथवा दस्तावेजों की प्रामाणिकता विवादित हो, वहाँ उक्त धारा के अ[illegible] तहसीलदार रिपोर्ट में यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:25 IST
Reason: SelfAttested

अंकित है कि राजस्व रिकॉर्ड में विभिन्न नामों के कारण वारिसों की पहचान स्पष्ट नहीं है एवं नाम से संशोधन किया जाना उचित नहीं बताया है अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अभिलेख के आधार पर निराधार पाए जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:25 IST
Reason: SelfAttested